



F-07-22

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूर - 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**टेस्ट हाउस अनुमोदन सं. 26 / TEST HOUSE APPROVAL Number: 26**

फर्म का नाम / Name of the Firm: मेसर्स पल्लक्की एनडीटी एक्सीलेन्स सेंटर  
बेंगलूर - 560 058 /  
**M/s Pallakki NDT Excellence Center**  
**Bengaluru - 560 058**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स पल्लक्की एनडीटी एक्सीलेन्स सेंटर, 411/ए, 11 क्रॉस, 4 फेस, पीन्या, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलूर - 560 058 को सेना अनुप्रयोग हेतु निम्नलिखित टेस्ट फेसिलिटी के लिए टेस्ट हाउस अनुमोदन जारी किया है:

*This is to certify that, M/s Pallakki NDT Excellence Center, 411/A, 11<sup>th</sup> Cross, 4<sup>th</sup> Phase, Peenya, Peenya Industrial Area, Bengaluru - 560 058, is hereby issued with Test House Approval with the following Test facilities for military aviation applications:*

- a. दोनों एक्स-रे एवं गामा - रे रेडियोग्राफि परीक्षण / **Radiography testing both X - ray & Gamma - ray**
- b. अल्ट्रासोनिक परीक्षण / **Ultrasonic Testing**
- c. दोनों विज्युअल एवं फ्लुरेसेंट लिक्विड पेनट्रेशन परीक्षण / **Liquid Penetration Testing both Visual and Fluorescent**
- d. दोनों विज्युअल एवं फ्लुरेसेंट चुम्बकीय कण परीक्षण / **Magnetic Particle Testing both Visual and Fluorescent**
- e. विज्युअल परीक्षण / **Visual Testing**

2. अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है:  
*The approval is subject to the following conditions:*

- i) यह अनुमोदन उपरोक्त अनुच्छेद-1 में सूचित कार्यकलापों के लिए ही लागू है।  
*The scope of approval is applicable only to those activities indicated in Para -1 above.*

- ii) यह प्रमाणपत्र जारी करने की दिनांक से तीन (03) वर्ष तक यह अनुमोदन वैध है, बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता।

*The approval is valid for a period of Three (03) Years from the date of issue of this Certificate, unless otherwise suspended, revoked or cancelled.*

- iii) सेना अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त परीक्षण तथा मूल्यांकन डी जी ए क्यू ए की उपस्थिति में होना चाहिए।

*All the Testing and Evaluations for Military Applications must be witnessed by DGAQA.*

- iv) परिशिष्ट-‘ए’ में सूचित प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ताओं के विधिवत् हस्ताक्षर है तो ही परीक्षण रिपोर्ट/संबंधित दस्तावेज़ केवल सेमिलैक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

*Test reports / related documents will be accepted by CEMILAC only, if they are duly signed by authorized signatories listed in Appendix –‘A’.*

- v) टेस्ट हाउस अनुमोदन और प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ताओं की संयोजित सूची में कोई परिवर्तन करना हो तो सेमिलैक की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है।

*Prior approval of CEMILAC is required to effect any changes in the composition of list of authorized signatories and /or the scope of approval.*

- vi) परीक्षण उपकरणों का आवर्तक अंशशोधन करवाना तथा उनका रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। डी जी ए क्यू ए/सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी के मांगने पर समस्त अंशशोधन के दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा।

*Periodic Calibration of the Test Equipment's is to be carried out and records should also be maintained. All relevant data on calibration aspects are to be forwarded to DGAQA / Competent inspection authority as and when demanded / required.*

- vii) अनुमोदन क्षेत्र के अंतर्गत सेना वायुयान के लिए किए गए परीक्षण कार्यों एवं उसकी स्थिति का एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रत्येक छः (06) महीने की अवधि में अनिवार्य रूप से सेमिलैक को भेजना होगा जो कि उत्तरवर्ती नवीकरण के लिए अत्यावश्यक है।

*A brief write up on the Testing jobs carried out & their status under the scope of the approval for military aircraft has to be forwarded to CEMILAC at every six (06) months interval mandatorily, which is an essential requirement for subsequent renewal.*

- viii) परिशिष्ट 'ए' में सूचित प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ता उनके नाम के आगे दर्शाए गए निश्चित कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट में हस्ताक्षर करेंगे और उनके द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट ही सेमिलैक/ आर सी एम ए द्वारा स्वीकृत की जाएगी। फर्म के मुख्यस्थ को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि इस सूची के सभी सदस्यों का नाम फर्म के पंजी में पूर्णकालिक नियमित कार्मिक के रूप में होना है। अगर इस सूची में से कोई भी सदस्य फर्म छोड़ रहा है तो यह प्राधिकरण तुरंत ही रद्द माना जाएगा।

**Authorized Signatories** listed in **Appendix 'A'** will sign the reports on the areas of work defined against their names and the reports with their signatures only will be accepted by CEMILAC / RCMA's. The head of the firm has to mandatorily ensure that all the members of this list are on the rolls of the firm as full time regular employees. If any member of this list quits the firm, this authorization of individual shall stand cancelled with immediate effect.

- ix) प्रमाणपत्र में दिए गए शर्तों के पालन के सत्यापन हेतु वर्क सेंटर और फर्म के कार्यालय परिसर अनुमोदन की वैधता अवधि में कभी भी सेमिलैक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

*The work center and office premises of the firm may be subjected to **inspection by CEMILAC at any point of time** during the validity period of this approval, to verify the adherence to conditions laid out herewith.*

संलग्न / Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'  
संदर्भ सं / Ref No.: सेमिलैक/CEMILAC/6042/टीएच/TH - 26 / TC&S  
दिनांक / Dated : 16 December 2017

  
पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)